भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्याः *436

उत्तर देने की तारीखः 01.04.2025

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान

***436. डॉ. रिकी ए. जे. सिंगकोण:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का मेघालय में महिला-नेतृत्व वाले परिवारों का देश में सर्वाधिक प्रतिशत (एनएफएचएस के अनुसार 41 प्रतिशत), नशीली दवाओं की लत में चिंताजनक वृद्धि और कम उम्र में विवाह आदि जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए राज्य के शिलांग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा मेघालय में विशेषकर महिलाओं, युवाओं और परिवारों पर प्रभाव डालने वाली समस्याओं सहित इन ज्वलंत समस्याओं से निपटने के लिए क्या वैकल्पिक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या मंत्रालय का मेघालय में महिला सशक्तिकरण, युवा पुनर्वास और सामाजिक कल्याण हेतु विशिष्ट कार्यक्रम चलाने के लिए प्रस्तावित संस्थान के तहत क्षेत्र-विशिष्ट कार्य योजना बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या मंत्रालय का क्षेत्र में नशीली दवाओं की लत के बढ़ते संकट के दृष्टिगत, निवारक और पुनर्वास कार्यनीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों, समुदाय के नेताओं और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग को प्राथमिकता देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान" के संबंध में 01.04.2025 को उत्तर देने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 436 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): मेघालय में राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) की स्थापना करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मेघालय सहित देश में नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा उठाए गए कदम **संलग्नक-I** में दिए गए हैं।

(घ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग नशीले पदार्थों (ड्रग्स) की मांग में कमी लाने की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) को लागू कर रहा है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, नशीले पदार्थों की मांग में कमी के लिए कार्यक्रम हेतु राज्यों को और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के पीड़ित व्यक्तियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए) के संचालन और रखरखाव के लिए गैर-सरकारी संगठनों/स्वंयसेवी संगठनों को, किशोरों में नशीले पदार्थों के सेवन के शीघ्र निवारण हेतु समुदाय आधारित संगतिपरक इंटरवेंशन (सीपीएलआई), आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर (ओडीआईसी) और जिला नशामुक्ति केंद्रों (डीडीएसी) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) मेघालय के सभी जिलों सहित देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। एनएमबीए ने समुदाय तक पहुंच बनाई है और उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों, स्कूलों, छात्रों, युवाओं और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए नशीले पदार्थों के सेवन के बारे में जागरूकता फैलाई है। राज्य कार्य योजना के तहत, विभिन्न हितधारकों जैसे जिलों, शैक्षिक और अन्य संस्थानों, समुदायों, छात्रों, युवाओं और महिलाओं आदि की भागीदारी के साथ निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, उपचार और पुनर्वास, अनुसंधान आदि जैसी विभिन्न गतिविधियां शुरू की गई हैं।

संलग्नक-I

दिनांक 01.04.2025 को उत्तर देने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 436 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में संदर्भित संलग्नक

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग मेघालय सहित देश में नशीले पदार्थों (ड्रग्स) की मांग में कमी लाने के लिए नोडल विभाग है। नशीले पदार्थों के सेवन की समस्या से निपटने के लिए विभाग ड्रग्स की मांग में कमी लाने की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) को कार्यान्वित कर रहा है। यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

i. राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों प्रशासनों को निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण के लिए, राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए कार्यक्रम आदि चलाने के लिए

ii. नशीले पदार्थों के सेवन के पीड़ितों हेतु एकीकृत पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए) के संचालन और रखरखाव के लिए गैर-सरकारी संगठनों/स्वंयसेवी संगठनों को किशोरों में नशीले पदार्थों के निवारण हेतु समुदाय आधारित संगतिपरक इंटरवेंशन (सीपीएलआई) जल्दी शुरू करने, आउटरीच और ड्रॉप इन केन्द्रों (ओडीआईसी) और जिला नशा मुक्ति केन्द्रों (डीडीएसी) के लिए; और

iii. व्यसन उपचार सुविधाओं (एटीएफ) के लिए सरकारी अस्पताल।

2. एनएपीडीडीआर योजना के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की गई हैं:

i. फिलहाल, सरकारी अस्पतालों में 350 आईआरसीए, 46 सीपीएलआई, 74 ओडीआईसी, 124 डीडीएसी और 142 एटीएफ को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है। इन सभी सुविधाओं तक जरूरतमंद लोगों की आसान पहुंच के लिए इन्हें जियो-टैग किया गया है। इनमें से 01 आईआरसीए, 01 ओडीआईसी और 01 एटीएफ मेघालय में स्थित हैं।

ii. क्षेत्र में नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाने वाली विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिए राज्य द्वारा राज्य विशिष्ट राज्य कार्य योजना (एसएपी) तैयार की जाती है और विभाग द्वारा एनएपीडीडीआर योजना के अंतर्गत एसएपी के तहत धनराशि जारी की जाती है।

iii. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्ति के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन '14446' चलाई जा रही है, ताकि इस हेल्पलाइन के माध्यम से मदद मांगने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल रेफरल सेवाएं प्रदान की जा सकें। इस हेल्पलाइन नंबर पर अब तक 4.18 लाख से अधिक कॉलें आ चुकी हैं। इनमें से, 11 हजार से अधिक कॉलें मेघालय से आई हैं।

iv. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) 15 अगस्त, 2020 को 272 चिह्नित जिलों में शुरू किया गया था और अब इसे देश भर के सभी जिलों में विस्तारित कर दिया गया है। नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य जन-सामान्य तक पहुंचना तथा उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों, स्कूलों, छात्रों, युवाओं और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए नशीले पदार्थों के सेवन के बारे में जागरूकता फैलाना है।

v. अब तक, एनएमबीए के तहत जमीनी स्तर पर की गई विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 15.44 करोड़ से अधिक लोगों को नशीले पदार्थों के सेवन के बारे में जागरूक किया गया है, जिनमें 5.17 करोड़ से अधिक युवा और 3.27 करोड़ से अधिक महिलाएं शामिल हैं। 4.18 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी ने यह सुनिश्चित किया है कि अभियान का संदेश देश के बच्चों और युवाओं तक पहुंचे। मेघालय में 28 हजार से अधिक युवाओं, 12 हजार से अधिक महिलाओं तथा 2 हजार से अधिक शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी के साथ 15.32 लाख से अधिक लोगों को जागरूक किया गया है।

vi. एनएमबीए को समर्थन देने और जन जागरूकता गतिविधियां संचालित करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्माकुमारी, संत निरंकारी मिशन, इस्कॉन, श्री राम चंद्र मिशन और अखिल विश्व गायत्री परिवार जैसे आध्यात्मिक संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

vii. अभियान के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई जा रही है।

viii. एनएमबीए वेबसाइट (http://nmba.dosje.gov.in) उपयोगकर्ता/दर्शक को अभियान, एक ऑनलाइन चर्चा मंच, एनएमबीए डैशबोर्ड, ई-प्रतिज्ञा के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है।

ix. एनएमबीए पर 12 अगस्त, 2024 को एक सामूहिक प्रतिज्ञा/शपथ कार्यक्रम पूरे देश में ऑनलाइन आयोजित किया गया और 2+ लाख संस्थानों के लगभग 3+ करोड़ लोगों ने राष्ट्रव्यापी प्रतिज्ञा/शपथ में भाग लिया।

x. मंत्रालय ने नवचेतना मॉड्यूल (स्कूली बच्चों के लिए जीवन कौशल और नशीली दवाओं की शिक्षा पर एक नई चेतना) - शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है। नवचेतना

मॉड्यूल का उद्देश्य भारत के स्कूलों में छात्रों के बीच जीवन कौशल और नशीले पदार्थों के बारे में जागरूकता लाना और जानकारी का प्रचार-प्रसार करना है। मेघालय राज्य में नवचेतना मॉड्यूल के प्रथम चरण में, मॉड्यूल के दूसरे चरण में शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 04 जिलों से 13 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।

xi. मंत्रालय अपने स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) और अन्य सहयोगी एजेंसियों जैसे एससीईआरटी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन आदि के माध्यम से छात्रों, शिक्षकों, माता-पिता आदि सहित सभी हितधारकों के लिए नियमित जागरूकता सृजन और संवेदीकरण सत्र आयोजित करता है। चालू वर्ष (वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान एनआईएसडी द्वारा मेघालय राज्य में विभिन्न लक्षित समूहों के लिए 05 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें 2298 लोगों ने भाग लिया है।

*****